न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 164 **दायर दिनांक : 03.10.2013**

1. अमिना } पुत्रीयान कौम मुसलमान साकिनान उदयपुर गोदारान हाल
2. रूकेयां } वार्ड न. 1 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
3. सबां बी पत्नी याकूब कौम मुसलमान साकिन उदयपुर गोदारान जरिये संरक्षक व वाद मित्र अमिना पुत्री याकूब जाति मुसलमान साकिन वार्ड न. 1 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. शबां बी पत्नी अलावल जाति मुसलमान साकिन चक 3 एम.सी. उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. जाकिर हुसैन } पुत्रगण शरीफ जाति मुसलमान निवासीयान चक 3
3. अकबर हुसैन } एम.सी. तहसील सूरतगढ़।
4. मोहम्मद यार
5. अहमद यार } पुत्रगण अलावल जाति मुसलमान साकिनान चक 3
6. मुस्ताक खां } एम.सी. तहसील सूरतगढ़।
7. मुमताज खां }
8. नबीबक्श पुत्र अलाबक्श (मृतक) जरिये वारिसान

8/1. मोहम्मद बक्श } पुत्र/पुत्रियाँ नबीबक्श अकवाम मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़।
8/2. सखीया बी
8/3. कलीमा बी
8/4. अजमत बी
8/5. पनावा बी
8/6. अकी बी
8/7. मुफा बी
8/9. जन्नत बी
8/10. सलीमा बी
8/11. सफा बी पुत्री नबीबबक्श (फौत) जरिये वारिस
8/11/1.खुशीया बी } पुत्रीयां सफा बी पुत्री नवीबक्श जाति मुसलमान
8/11/2. जीना बी } निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़।
8/12. रजा बी पुत्री नवीबक्श (फौत) जरिये वारिस
8/12/1. अहमद यार पुत्र रजा बी पुत्री नवीबक्श जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़।

9. नवाब बेगम पत्नी शरीफ (फौत) तर्क आदेश दिनांक 17.09.2015
10. बख्तावर बी } पुत्रीयान शरीफ अकवाम मुसलमान निवासीयान
11. शाकरा बी } चक 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़।
12. नाजरा बी
13. फकरा बी
14. अलावल दीन पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान साकिन चक 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़।
15. कृष्ण पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा लाड़ाना तहसील सूरतगढ़।
16. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

क्रमशः 2 पर.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

17. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय राजियासर तहसील सूरतगढ़।
18. पुर्ण सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति रायसिख साकिन मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
19. अमरो बाई पत्नी श्री सुचासिंह (फौत) जरिये वारिस
    19/1. स्वर्ण कौर पत्नी श्री भगवान सिंह पुत्री अमरो बाई
    19/2. स्वर्ण सिंह
    19/3. भजन सिंह
    19/4. जंगीर कौर
    19/5. जगजीत सिंह
    19/6. हरबंस सिंह
    } अमरो बाई पत्नी श्री सुच्चा सिंह जाति राय सिख निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.1955

उपस्थितः

1. श्री शीशपाल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण सं. 1 ता 3
2. श्री भागीरथ बिशनोई, अभिभाषक अप्राथीगण सं. 1 ता 8
3. श्री राकेश कुमार मनचंदा, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 18, 19/1 ता 19/6
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़।

प्रकरण सं. 142/2013 अनवानी नबी बक्श बनाम सबा बी व अन्य 212 आर.टी.ए.

1. श्री अजय अरोड़ा, अभिभाषक पत्रावली सं. 142/13 प्रार्थी
2. श्री शीशपाल शर्मा, अभिभाषक पत्रावली सं. 142/13 अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 25/02/2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया, विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर वाद ग्रस्त भूमि वाके चक 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 खाता सं. 40/39 की 12.523 है. व जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 41/40 की 1.265 है. व चक 4 के.एस.एल. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2063 खाता सं. 37 की 3.289 है. में से 1/4 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व रोही उदयपुर मुसलमान के ख.न. 120/3 की 5.060 है. में कुल भूमि हिन्दू सहदायकी मानते हुये याकूब को प्राप्त भूमि में प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि हेतू खातेदारी की घोषणा विक्रय पत्र–दान पत्र अधिकारातीत जो उनके पिता द्वारा करवाये गये को अपने हकूक पर बेअसर बताकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर चाही की वे दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का हस्तांतरण बजरिये रहन, बैय ना करें। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इकतरफा अभिभाषक प्रार्थी को सुनकर दिनांक 03.10.2013 को अप्रार्थीगण को अस्थाई रूप से पाबंध किया गया कि वे चक 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 खाता सं. 40/39 की 12.523 है. जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 खाता सं. 41/40 की 1.265 है. चक 4 के.एस.एल. जमाबंदी सम्वत् 2063 के खाता सं. 37 की 3.289 है. में से 1/4 हिस्से व रोही उदयपुर

क्रमशः 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

मुसलमान के ख.न. 120/3 की 5.060 है. भूमि को आगामी तारीख पेशी तक बजरिये रहन, बैय, हस्तांतरित नहीं करें, साथ ही अप्रार्थीगण को तलब कर जवाब प्राप्त किये गये अप्रार्थी सं. 1 ता 8/12/1 के अभिभाषक उपस्थित आये व उनका जवाब शामिल मिसल किया गया इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 18, 19 के भी जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थना पत्र स्थगन निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

बाद आने जवाब पक्षकारान के तर्क अभिभाषकगण सुने गये, अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद ग्रस्त भूमि हेतू घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है प्रार्थीगण के दादा अल्लाबक्श को रोही उदयपुर बास उदासर के ख.न. 1 में 14.12 बीघा व ख.न. 8/1 में 51.18 बीघा का जो चकबंदी में आने पर चक 3 एम.सी. में प.न. 94/7, 94/8, 74/64, 74/56, 75/57 में 50.00 बीघा व पुराना चक 16.400 आर.डी. वर्तमान चक 4 के.एस.एल. व प.न. 95/48 के कि.न. 6, 7, 8, 13 ता 15, 17, 18, 23, 24 = 10.00 बीघा वा चक 4 के.एस.एल. प.न. 96/41 का कि.न. 3 ता 5 = 3.00 बीघा कुल 13.00 बीघा व प.न. 94/8 का कि.न. 15, 16, 23, 24, 25 = 5.00 बीघा कुल 68.00 बीघा फिट हुआ जो बाद मृत्यु अल्लाबक्श उनके चार पुत्रों नवी बक्श, याकूब, शरीफ, अलावर पिसरान अलाबक्श के नाम बहिस्सा बराबर 1/4 प्रत्येक दर्ज हुआ इनमें याकूब जो प्रार्थीगण का पिता है ने अपने नाम अंकित भूमि विकय एवं दान पत्र से अप्रार्थीगण को हस्तांतरित की बताई जा रही है, जबकि उस द्वारा यह भूमि ना तो हस्तांतरित की गई व ना ही उनको हस्तांतरण का अधिकार था। इसी प्रकार रोही उदयपुर मुसलमान में ख.न. 120/3 की 5.060 है. में भी प्रार्थीगण का उत्तराधिकार के अनुसार हक व हिस्सा है जिसकी वे घोषणा पाने के अधिकारी है मौके पर उनका कब्जा है, यद्यपि वे जाति से मुसलमान है किन्तु उनका उत्तराधिकार हिन्दू रीति रिवाज अनुसार होता है, हिन्दू सहदायी परिवार की धारणा इनमें प्रचलित है। दावा जैरकार रहते भूमि हस्तांतरित की जा सकती है। जिसमें प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी स्थगन ता फैसला वाद कायम रखने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। तर्कों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 2005(2) आर.जे. पेज 222 व आर.बी.जे. 2010 पेज 178 न्याय निर्णय प्रस्तुत किये।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 ने प्रार्थना पत्र व मौखिक कथनों का विरोध करते हुये तर्क दिया कि प्रथमतः स्वीकृत रूप में वादाधीन भूमि मुस्लिम व्यक्ति की है एवं उत्तराधिकार मुस्लिम विधि अनुसार होने योग्य है। जिनमें हिन्दू मिताक्षरा विधि अनुसार होने योग्य नहीं है जिनमें हिन्दू मिताक्षरा विधि कतई प्रभावशील नहीं है स्पष्टतः मुसलिम अथवा राजस्थान के मुस्लिमों में हिन्दू सहदायी परिवार की परिपाटी लागू नहीं है। पिता के जीवनकाल में परिवार के अन्य सदस्यों का जन्मजात् किसी प्रकार का हक मुस्लिम विधि में नहीं है, पंजीकृत हस्तांतरण दान पत्रों से हस्तांतरण हुआ है। अप्रार्थीगण अंकित काश्तकार है जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन नहीं प्रदान किया जा

कमशः 4 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सकता। इस सम्बंध में पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा वाद किया गया था जो वापस (With draw) किया गया नया वाद प्रस्तुत ही नहीं कर सकते प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता मौका पर कब्जा नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त करने व पूर्व में जारी किया स्थगन आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी सं. 18, 19/1 ता 19/6 का तर्क प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि याकूब द्वारा इस भूमि का हिस्सा अपने भाईयों को दिया गया व उन्होनें इसे आगे अप्रार्थीगण को हस्तांतरित कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इन्हें जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया, मौका पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की, तर्कों के समर्थन में न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 1999 पेज 562 प्रस्तुत की व यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण मुस्लिम विधि से शासित होते है, जहाँ हिन्दू मिताक्षरा विधि के सहदायी की धारणा कतई नहीं है पिता/पति के जीवन काल में उनका किसी प्रकार का हक उनके नाम अंकित भूमि में प्रार्थीगण का नहीं बनता। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त करने कि प्रार्थना की गई।

इस पत्रावली के साथ पत्रावली संख्या 142/2013 अनवानी नबी बक्श बनाम सबा बी संलग्न है जिसमें पूर्व में स्थगन आदेश बहक नबी बक्श दिनांक 29.08.2013 को प्रदान कर दिनांक 26.08.2019 को पत्रावली सं. 164 दिनांक 03.10.2013 के संलग्न की गई इस पत्रावली पर भी एक साथ विचारण किया जा रहा है व पत्रावली संख्या 164/03.10.13 के साथ विचारण कर निर्णय किया जा रहा है।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों पर मनन किया गया व पूर्ण ध्यान व आदर सहित प्रस्तुत न्याय निर्णयों का पठन व मनन उपरान्त विस्तृत रूप से विचारण में पाया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मुस्लिम परिवार की है व अंकित काश्तकार के विरूद्ध इस आधार पर स्थगन चाहा जा रहा है कि प्रार्थीगण मुस्लिम होते हुये भी हिन्दू विधि मिताक्षरा से अधिशाषित होते है व सहदायी (Co-Parcener) परिवार के सदस्य से पिता/पति याकूब की भूमि में बतौर सहदायी सदस्य जन्म से हक रखते है एवं इसी हेतू पिता/पति द्वारा हस्तांतरित व हस्तांतरितीयों के नाम अंकित भूमि में अपने हकूक की घोषणा चाहते है व दौराने वाद स्वयं का प्राथमिक रूप से मामला बनना बताते हुये स्थगन अंकित काश्तकार के विरूद्ध चाहते है। प्रथमतः अंकित काश्तकार के विरूद्ध स्थगन दिया जाना उचित नहीं यह माननीय राजस्व मण्डल द्वारा सुस्थापित न्याय सिद्धान्त है इसके अतिरिक्त मुस्लिम विधि में सहदायी का सिद्धांत नहीं इस आधार पर प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला बनना नहीं पाया जाता। अंकित काश्तकार का प्राथमिकतः कब्जा माना जाता है इसका अंकन हस्तांतरण पत्र में भी होता है हस्तांतरण के आधार पर कब्जा माना जाने योग्य है जब तक दस्तावेजी साक्ष्य में अन्यथा सिद्ध ना हो इस मामले में अन्यथा सिद्ध नहीं हो रहा है।

क्रमशः 5 पर........

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

जहां तक न्याय निर्णयों का सम्बंध है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय आर.एल. डब्ल्यू. 2005(2) आर.जे. पेज 222 का सम्बंध है इस मामले में मूर्ती मंदिर एवं पुजारी का मामला एवं मूर्ती मंदिर के हितों की देखभाल आवश्यक थी। प्राथमिक रूप से मामला बनना प्रतीत होता था। यहाँ मुस्लिम विधि एवं हिन्दू विधि का प्रश्न है। प्रार्थी प्राथमिक रूप से मुस्लिम विधि से शासित होने योग्य है। विपरीत जब तक सिद्ध न हो इसमें इनका प्राथमिक रूप से मामला बनना नहीं पाया जा रहा, आर.बी.जे.17 (2010) पेज 178 में पारिवारिक सदस्यों में भूमि बंटवारा का प्रश्न होने पर स्थगन के प्रावधान बनाये गये है। यह सम्पत्ति के बंटवारें का वाद ही नहीं वाद घोषणा का है व दौराने चलन वाद स्थगन मॉगा जा रहा है। यह न्याय निर्णय प्रार्थी के मामले पर चस्पा नहीं होता, दूसरी ओर आर.बी.जे.(6) 1999 पेज 592 इस मामले में प्रभावशील होती है, जिसमें मुस्लिमों में अविभक्त हिन्दू खानदान एवं सहदायी का सिद्धान्त मुस्लिमों में प्रभावशील नहीं माना गया जो अप्रार्थी के कथनों को बल प्रदान करता है। इसी प्रकार आर.आर.टी. 2010(1) पेज 588 इस मामले में पूर्णतया प्रभावशील प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट नहीं होने व प्राथमिक रूप से मामला न बनने, धारण व धारणाधिकार पुष्ट ना होने व अंकित काश्तकार के विरूद्ध स्थगन साधारण परिस्थितियों में स्वीकार ना करने के सिद्धांत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर अनुसरण योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है व पूर्व में जारी स्थगन पत्रावली संख्या 164/2013 अनवानी अमिना वगै. बनाम शाबा व अन्य आदेश दिनांक 03.10.2013 निरस्त किया जाता है। इस पत्रावली के संलग्न पत्रावली संख्या 142/2013 अनवानी नबी बक्श बनाम सबा बी में दस्तावेजी साक्ष्य से प्राथमिक रूप से दान पत्र साबित होता है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये पत्रावली संख्या 142/2013 अनवानी नबी बक्श बनाम सबा बी में जारी स्थगन आदेश दिनांक 29.08.2019 ता फैसला वाद स्वीकार किया जाता है।

हुक्म सुनाया गया, दोनों पत्रावलियों में हुक्म की प्रति रखी जावें व पत्रावलियॉ बाद निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.28 11:45:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: